राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/विविध-परिपत्र सं.3/2010-11/3986
07 अप्रैल, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय/महोदया,

आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2010 :
विवरणियां प्रस्तुत करना

जैसाकि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने पूर्ववर्ती निर्देश, 2001 में मई 2010 तक हुए संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधित आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2010 जारी किये जिन्हें भारत के राजपत्र दिनांक 26 जून - 2 जुलाई, 2010 में अधिसूचित किया गया । शीर्षांकित निर्देशों का संशोधित संस्करण हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त, इनकी प्रति सभी आवास वित्त कंपनियों को उनके संदर्भ हेतु भेजी गई थी । तदनुपरांत, इन कथित निर्देशों में अधिसूचना सं. राआबैंक.एचएफसी.निर्देश 2/सीएमडी/2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 द्वारा 'लोन टू वैल्यू' (एलटीवी) अनुपात, जोखिम भार और प्रावधान मानदंडों को संशोधित किया गया और प्रकाशित किया गया। इस अधिसूचना की प्रति सभी आवास वित्त कंपनियों को उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भेजी गई थी ।

2. हालांकि, कुछ मामलों में यह पाया गया कि आवास वित्त कंपनियों ने अपनी विवरणियां इन निर्देशों में निर्दिष्ट नये फार्मेट पर भेजने के बजाय पुराने फार्मेटों पर ही भेजीं। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि कुछ आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां डाटा नहीं दिये जाने या फार्मेट/अनुलग्नकों को कुछ भाग छोड़ दिये जाने के कारण अधूरी थीं । यह सूचित किया जाता है कि सभी आवास वित्त कंपनियां विवरणियां पूरी सावधानी से प्रस्तुत करें और शीर्षांकित निर्देशों के अनुसार निर्धारित फार्मेटों का कड़ाई से पालन करते हुए पूरी सूचना प्रस्तुत करें।

3. कृपया यह भी ध्यान रखें कि सभी विवरणियों के अद्यतन फार्मेट रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4. कृपया पावती दें ।

भवदीय
ह० –
(वी. राजन)
उप महाप्रबंधक